न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

फौजदारी विविध वाद संख्या 328 सन 2026

कपिल कुमार पुत्र हरीवीर सिंह उर्फ फरीक,
स्थायी निवासी मोहल्ला तकियावाला, कस्बा बुगरासी, तहसील स्याना, थाना नरसैना, जिला बुलन्दशहर, हाल निवासी म0नं0–28, गोविन्दपुरम, पहल गली नं0–02, आकाश नगर, सी0पी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल, गोविन्दपुरम, थाना मसूरी, गाजियाबाद, उ0प्र0।

.....आवेदक।

बनाम

01. सतवीर सिंह पुत्र रतीराम,
02. निखिल पुत्र सतवीर सिंह,
स्थायी निवासी मोहल्ला तकियावाला, कस्बा बुगरासी, तहसील स्याना, थाना नरसैना, जिला बुलन्दशहर,

.....विपक्षी।

27.05.2026

आवेदक कपिल कुमार की ओर से विपक्षी फिरे के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 थाना नरसैना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 22.05.2026 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक का कथन है कि वह कपिल कुमार कस्बा बुगरासी, तहसील स्याना, थाना नरसैना, जिला बुलन्दशहर का रहने वाला है। उसके कस्बे का ही सतवीर सिंह व उसका पुत्र निखिल ने अपना आवश्यक कार्य बताते हुये उससे मु0–1,50,000/– रूपये माह दिसम्बर, 2025 तक के लिए उधार मांगे थे तो उसने मु0–10,000 /– रूपये दिनाकं 05.08.2025 व 57,000 /– रूपये दिनांक 09.09.2025 को नगद चन्द्रपाल सिंह व मिथलेश देवी के सामने दिये व मु0–83,000/– रूपये निखिल के खाते में किस्तानुसार दिये थे। उसने समय बीत जाने के बाद माह जनवरी, 2026 को अपने मु0–1,50,000/– रूपये उपरोक्त लोगों से मांगे तो उपरोक्त लोगों ने यह कहते हुये टाल दिया कि अभी उसे किसी से रूपये मिलने वाले हैं, जैसे ही उसे रूपये मिल जायेंगे, तुमको तुम्हारे रूपये वापस कर देगा। उसने इसके पश्चात् काफी समय बीत जाने के बाद उपरोक्त लोगों को फोन किया तो उसका फोन उठाना ही बन्द कर दिया। उसने माह फरवरी, 2026 में व्यक्तिगत रूप से चन्द्रपाल व मिथलेश देवी को साथ लेकर उपरोक्त लोगों से अपने रूपयों की मांग की तो उपरोक्त लोग आग बबूला हो गये और कहने लगे कि अब तेरे रूपये तुझे नहीं मिलेंगे, तुझे, जो करना है, कर ले तथा धमकी व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहा कि साले धोबी तू ज्यादा उठेगा तो तुझे ठिकाने लगा देंगे और जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार उपरोक्त लोगों पर उसके कुल मु0–1,50,000/– रूपये बकाया है, जो उसके द्वारा उपरोक्त लोगों से वापस नही किये जा रहे हैं तथा उपरोक्त लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको बहकाते आ रहे हैं और उसको जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने दिनांक 24.03.

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.05.27 16:55:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2026 को अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया, जो विपक्षीगण को दिनांक 27.03.2026 को प्राप्त हो गया। उपरोक्त लोगो द्वारा गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर जबाव दिया है और उल्टा उस पर ही अपने रूपये बताते हुये उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर अब हमसे धोबी तुने रूपये मांगे तो तुझे ठिकाने लगा देंगे। उसको उपरोक्त लोगों से अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। उसने उक्त घटना के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को स्वयं उपस्थित होकर व रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.05.2026 को दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः उक्त कथनों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये आवेदन दिनांकित 06.05.2026 की छायाप्रति मय पंजीकृत डाक रसीद, मोबाईल से ट्राजंक्सन की छायाप्रति, जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किये गये है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्या अनुसार थाना हाजा पर कोई अपराध पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण सतवीर सिंह व निखिल द्वारा अपनी आवश्यकता हेतु मु0–1,50,000/–रूपये माह दिसम्बर, 2025 तक के लिए उधार मांगना, समय बीत जाने के बाद माह जनवरी, 2026 को आवेदक द्वारा अपने मु0–1,50,000/–रूपये उपरोक्त लोगों से मांगने पर टालमटोल करना तथा माह फरवरी, 2026 को आवेदक कपिल कुमार, चन्द्रपाल व मिथलेश को साथ लेकर उपरोक्त लोगों से अपने रूपये मांगने पर उपरोक्त लोग द्वारा जाति सूचक शब्द धोबी कहते हुए जान से मारने की धमकी देना कहा गया है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक का जाति प्रमाणपत्र के आवेदन की प्रति दाखिल की गयी है। थाने से प्राप्त आख्या में यह बताया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्थानीय थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है तथा जांच में विपक्षीगण द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी देते हुए सार्वजनकि स्थान पर जाति सूचक शब्द बोलना, गाली गलौज जैसी घटना जांच में घटित होना नहीं पाया गया।

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक को प्रस्तावित अभियुक्तगण के नाम पते, घटना स्थल, घटना कारित करने के तौर तरीके व घटना के तथ्य एवं साक्षी ज्ञात हैं। **रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2001 (43) जे0आई0सी0 231** में वाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मामले में मजिस्ट्रेट चाहे तो अन्वेषण के लिए भेज सकता है या परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जांच कर सकता है या खारिज कर सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए0सी0सी0 739** के वाद में यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को स्वीकार कर सकता है अथवा परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा **नरेश कुमार बाल्मीकि आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2022(121) ए0सी0सी0 782** के वाद में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि ''स्थापित विशेष न्यायाधीश अथवा न्यायालय दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अधीन आवेदन पत्र को परिवाद के रूप में मान सकता है और उस पर विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।''

प्रस्तुत मामले में प्रस्तावित अभियुक्तगण के नाम पते व घटना के सभी तथ्य आवेदक के ज्ञान में है। घटना से संबंधित कोई ऐसा तथ्य नहीं है, जिसके संबंध में विवेचना के माध्यम से ही साक्ष्य एकत्रित किये जाने की आवश्यकता हो। उक्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कराया जाना न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

आवेदक कपिल कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 08.07.2026 को पेश हो।

दिनाक 27.05.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट बुलन्दशहर।
आई.डी. यू पी 06142